न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट दीगोद, कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - **नेहा वर्मा, आर.जे.एस.**
दाण्डिक प्रकरण संख्या - 112/2013
सी.आई.एस.नम्बर - 3017/2014
सी.एन.आर.नम्बर - RJKT16-000043-2013
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. - 74/2013, पुलिस थाना - सुल्तानपुर

राजस्थान राज्य बनाम रामस्वरूप

अपराध अन्तर्गत धारा 353, 427 भारतीय दण्ड संहिता

-::: निर्णय :::- **दिनांक 04-08-2026**

प्रथम भाग

A.

फरियादी	राजस्थान सरकार
फरियादी की ओर से उपस्थित	विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री लोकेश राठौर
अभियुक्त का नाम व विवरण	रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल, निवासी डूंगरज्या, थाना सुल्तानपुर, जिला कोटा, राजस्थान।
अभियुक्त की ओर से उपस्थित	विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद शर्मा

B.

अपराध की दिनांक	05-06-2013
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	06-03-2013
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	23-03-2013
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	01-11-2017
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	01-11-2017
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	निल
निर्णय दिनांक	04-08-2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	निल

C.

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	पारित दण्डादेश
1	रामस्वरूप	10-03-2013	14-03-2013	353, 427 आईपीसी	दोषमुक्ति	-

Authenticated Document

- द्वितीय भाग -

:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय पक्ष के साक्षीगण की सूची ::

A.- अभियोजन साक्षीगण -

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
पी.डब्ल्यू. 01	महेन्द्र	औपचारिक साक्षी
पी.डब्ल्यू. 02	ग्यारसीलाल	मौके का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 03	लोकेश कुमार	मौके का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 04	सत्यनारायण	फर्द गिरफ्तारी साक्षी
पी.डब्ल्यू. 05	बाबूलाल	मौके का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 06	राधाकिशन	फर्द डेमेज साक्षी
पी.डब्ल्यू. 07	मदन मोहन	प्रकरण में लिए गए फोटोग्राफ्स का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 08	एश्वर्य शर्मा	औपचारिक साक्षी

B.- बचाव साक्षीगण -

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
-	NIL	-

C.- न्यायालय साक्षीगण -

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
-	NIL	-

:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय पक्ष के प्रदर्श की सूची ::

A.- अभियोजन पक्ष -

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी-01	घटनास्थल नक्शा मौका

2	प्रदर्श पी-02	पुलिस बयान महेन्द्र
3	प्रदर्श पी-03	पुलिस बयान लोकेश
4	प्रदर्श पी-04	फर्द गिरफ्तारी रामस्वरूप
5	प्रदर्श पी-05	पुलिस बयान बाबूलाल
6	प्रदर्श पी-06	फर्द डैमेज वाहन नं. आरजे 20 सीबी 1488
7	प्रदर्श पी-07	जप्तशुदा वाहन की फोटो

B.- **बचाव पक्ष -**

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	NIL	-

C.- **न्यायालय पक्ष -**

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	NIL	-

D.- **भौतिक वस्तुएं -**

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	NIL	-

1. हस्तगत प्रकरण का उद्भव दिनांक 23-03-2013 को पुलिस थाना सुल्तानपुर द्वारा आरोप पत्र पेश किये जाने से हुआ, जिसका हस्तगत निर्णय के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी लक्ष्मीनारायण ने दिनांक 05-03-2013 को उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह समय करीब 2 बजे दिन में राजीव गांधी सेवा केन्द्र में ग्राम पंचायत में बैठक ले रहा था कि डूंगरज्या का निवासी रामस्वरूप शर्मा पुत्र मांगीलाल, निवासी डूंगरज्या अपने 4-5 लोगों को लेकर आया उसने उसे बताया कि अभी बैठक चल रही है। बैठक के बाद कोई समस्या हो तो बताना। इस पर वो आवेश में बोलने लगा व उसकी टेबल पर रखी फाइलों को इधर-उधर करने लगा और खड़ा होकर गाली-गलौच करने लग गया। उसके कर्मचारी ग्यारसी लाल ने उसे गाली-गलौच नहीं करने को कहा तो धक्का-मुक्की पर उतारू हो गया व उससे बाहर निकाला व बाहर खड़ी मारूती कार आरजे 20 सीबी 1488 को लात मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया..... इत्यादि।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर थाना सुल्तानपुर द्वारा नियमानुसार मुकदमा नंबर 74/2013 अन्तर्गत धारा 353, 427 भारतीय दण्ड संहिता में प्रकरण

दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त रामस्वरूप के विरुद्ध धारा 353, 427 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित पाये जाने से आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

4. तत्पश्चात् बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध धारा 353, 427 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर, अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य अभियोजन प्रारम्भ की गयी।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 लगायत पी.डब्ल्यू. 08 को परीक्षित कराया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-01 लगायत प्रदर्श पी-07 के रूप में पेश कर प्रदर्शित कराते हुए साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई।

6. तत्पश्चात् अभियुक्त के कथन धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लिये गये, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा, तत्पश्चात् प्रतिरक्षा साक्ष्य समाप्त की गई।

7. बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्य तर्क रहा कि प्रकरण में परिवादी के बयान लेखबद्ध नहीं हुए हैं, अन्य गवाह जो परीक्षित हुआ है, वह परिवादी का पुत्र है, परंतु वह मौके का गवाह नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान प्रमाणित करने के लिए अनुसंधान अधिकारी के बयान पत्रावली पर संलग्न नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को अपने कथनों से प्रमाणित नहीं किया है, ऐसे में अभियुक्त उक्त अपराध के आरोप में दोषमुक्त होने योग्य है।

8. जिसके विरोध में अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होता है। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9. उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक गंभीरता से अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का परिशीलन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारण हेतु मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है किः-

(i) क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 05-03-2013 को समय 2 बजे पर वाके मौजा राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत, डूंगरज्या में परिवादी लक्ष्मीनारायण, सरपंच डूंगरज्या को लोकसेवक होते

हुए उसके कार्यों से विमुक्त करने के लिए उस पर आराधिक बल का प्रयोग करते हुए उसकी गाड़ी को लात मारकर रिष्टि कारित की गई?

(ii) **क्या अभियोजन ने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया? यदि हां तो, दण्ड की समुचित मात्रा क्या होगी?**

10. सर्वप्रथम हम विचारणीय बिन्दु संख्या एक के संदर्भ में पत्रावली पर प्रस्तुत हुई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष ने कुल 08 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराते हुए कुल 07 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये हैं, जिस समस्त साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण इस प्रकार हैः-

11. **गवाह पी.डब्ल्यू. 01 महेन्द्र,** जो प्रकरण में नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 का औपचारिक साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में बताया कि वह सन 2013 में वार्ड नबंर 10 से वार्ड मेम्बर था। ग्राम पंचायत डूंगरजा मे मीटिंग की तारीख थी इसलिये ग्राम पंचायत के सभी वार्ड मेम्बर व पटवारी मीटिंग में आये हुये थे। लक्ष्मीनारायण शर्मा के सरपंच के कक्ष में मीटिंग चल रही थी। लक्ष्मीनारायण शर्मा व रामस्वरूप के बीच में गाली गलोच हुई थी। मिट्टी का मल्डा डालने का बजट रामस्वरूप का अटक रहा था इसी मामले को लेकर कहासुनी हुई। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

एपीओ के निवेदन पर उक्त गवाह को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है, जिसने एपीओ द्वारा की गई **जिरह** में इस सुझाव को अस्वीकार किया कि **लक्ष्मीनारायण और रामस्वरूप के बीच में धक्का-मुक्की हुई हो बल्कि गाली-गलौच हुई थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी 2 का ए से बी गवाह ने पुलिस को नहीं देना जाहिर किया।**

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि **उसे नहीं पता कि रामस्वरूप ने सरपंच साहब के साथ गाली गलौच की या नहीं, वह तो मीटिंग में एक घंटा लेट गया था, न ही उसे किसी ने बताया।**

12. **गवाह पी.डब्ल्यू. 2 ग्यारसीलाल,** जो प्रकरण में मौके का साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में बताया कि दिनांक 05.03.2013 को ग्राम पंचायत डूंगरजा मे मीटिंग थी। मीटिंग मे सभी वार्डो के मेम्बर, पटवारी, सरपंच लक्ष्मीनारायण ओर रामस्वरूप था। वह बाहर फाटक खोलने आया तो रामस्वरूप ने सरपंच साहब लक्ष्मीनारायण के साथ गाली गलोच की और बाहर खडी सरपंच साहब की चार पहिये की गाडी के जोर से ड्राईवर साइड की फाटक के पास लात दी, जिससे गाडी के आगे मोचा पड गया। घटना लगभग दो बज करीब की है।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि **उसके पुलिस ने कोई बयान नहीं लिए। पुलिस ने बयानों में क्या**

लिखा उसे इसकी जानकारी नहीं है। रामस्वरूप ने मीटिंग हाल में जाकर कोई पत्रावली वगैरह इधर-उधर नहीं की और न ही मीटिंग में बाधा पहुंचाई। उसे नहीं पता कि रामस्वरूप व सरपंच साहब के मध्य किस बात को लेकर कहासुनी हो रही थी।

13. **गवाह पी.डब्ल्यू. 03 लोकेश कुमार व पीडब्ल्यू 5 बाबूलाल,** जो प्रकरण में मौके के गवाह एवं पुलिस बयान प्रदर्श पी 3 व पी 5 के साक्षी हैं, जिसे एपीओ के निवेदन पर **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण, प्रतिपरीक्षण व जिरह द्वारा एपीओ में अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं कर मीटिंग में कुछ भी घटना नहीं होने, रामस्वरूप द्वारा टेबल पर पत्रावलियों को इधर-उधर नहीं करने और उसके द्वारा राजकीय सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए जाने के कथन किए हैं।

14. **गवाह पी.डब्ल्यू. 04 सत्यनारायण,** जो प्रकरण में फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 का साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में बताया कि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 पर ए से बी हस्ताक्षर उसके ही हैं। वह रामस्वरूप को जानता है, जो उसका भाई लगता है जिसे सुल्तानपुर पुलिस ने सन् 2013 में गिरफ्तार किया था उसी समय पुलिस ने प्रदर्श पी 4 पर उसके हस्ताक्षर है।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि **प्रदर्श पी 4 में क्या लिखा है उसे पढकर नहीं सुनाया, उसने तो पुलिस के कहने से ही हस्ताक्षर किए थे। उसने लडाई झगडे के बारे में नहीं सुना।**

15. **गवाह पी.डब्ल्यू. 06 राधाकिशन,** जो प्रकरण में फर्द डेमेज का साक्षी है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि फर्द डैमेज प्रदर्श पी 6 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जो पुलिस ने सन 2013 में डूंगरज्या ग्राम पंचायत में करवाये थे जो सरपंच लक्ष्मीनारायण शर्मा की अल्टो कार रामस्वरूप द्वारा तोडने के सम्बन्ध में करवाये थे।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि **फर्द डेमेज तैयार करते समय कौन गवाह मौजूद था उसे नहीं पता।**

16. **गवाह पी.डब्ल्यू. 07 मदनमोहन,** जो प्रकरण में लिए गए फोटोग्राफ्स का साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में बताया कि दीगोद में फोटोग्राफी का काम करता है। 2013 में उसके द्वारा ग्राम पंचायत डूंगरज्या के सरपंच एल.एन शर्मा की ऑल्टो गॉडी नंबर आरजे 20 सीडी 1488 की फोटोग्राफी की थी, जो डिजीटल कैमरे से की थी, जिसके फोटोग्राफ प्रदर्श पी 07 है, जिस पर ए से बी पर उसके हस्ताक्षर है।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि **फोटो प्रदर्श पी 7 उसने खींचा या नहीं उसे नहीं पता। उसके**

सामने कार को कोई डैमेज नहीं किया गया। उसके पास फोटो का कोई नेगेटिव मौजूद नहीं है।

17. **गवाह पी.डब्ल्यू. 08 ऐश्वर्य शर्मा,** जो प्रकरण में परिवादी का पुत्र है, ने मुख्य परीक्षण में बताया कि उसके पिता लक्ष्मीनारायण डूंगरज्या पंचायत में सरपंच थे। दिनांक 05.03.2013 को ग्राम पंचायत में मीटिंग थी। वह व उसके पिता लक्ष्मीनारायण के साथ ग्राम पंचायत में गया था जहाँ पर सभी वॉर्ड मेंबर तथा सरकारी कर्मचारी मीटिंग में उपस्थित थे। लगभग 02 बजे रामस्वरूप शर्मा 02-04 व्यक्तियों के साथ मीटिंग हॉल में आया तथा उसके पिता जी से कुर्सी पर बैठकर कहा कि उसके रूपए दो। उसके पिता जी ने कहा कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है और यहाँ पर ग्राम सेवक नहीं है। कल आपकी जो भी समस्या है उसको निपटा लेंगे। इसी पर रामस्वरूप ने उसके पिता लक्ष्मीनारायण के साथ गॉली गलौच और धक्का-मुक्की करने लग गया। वॉर्ड मेंबर महेन्द्र मीणा और ग्यारसीलाल ने रामस्वरूप को समझाया तो वह नहीं माना और उसके पिता जी को बार-बार जान से मारने की धमकी देने लगा। उसकी गाडी नंबर आरजे 20 सीबी 1488 के लातों की गॉडी के आगे के बोनट पर मारी, जिससे उसके 10 हजार से 15 हजार नुकसान हुआ। रामस्वरूप द्वारा टेबल पर रखी फाइलों को इधर-उधर कर दिया। रामस्वरूप द्वारा मीटिंग में गाली-गलौच और धक्का-मुक्की करने के कारण मीटिंग को बीच में ही समाप्त कर दिया गया।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि **पुलिस ने उसके बयान लिए हो तो उसे नहीं पता। वह मीटिंग हॉल में अपेक्षित भी नहीं था उपस्थित भी नहीं था। वह बाहर गाडी के पास खड़ा था। झगडे की शुरुआत कैसे हुई उसे नहीं पता। गाडी पर लात मारने या गाडी को अेमेज करने का कोई फोटोग्राफ या दस्तावेज नहीं है।**

➔ **<u>धारा 353, 427 आईपीसी का निष्कर्षः-</u>**

18. धारा 353, 427 आईपीसी के संबंध में प्रथमतः न्यायालय को यह अवधारित करना है कि **क्या अभियुक्त के द्वारा परिवादी को लोकसेवक होते हुए उसके कार्यों से विमुक्त करने के लिए उस पर आराधिक बल का प्रयोग करते हुए उसकी गाड़ी को लात मारकर रिष्टि कारित की गई अथवा नहीं?**

उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष ने कुल 8 गवाहों को स्वयं की ओर से पेश कर परीक्षित करवाया है। चूंकि प्रकरण में परिवादी के बयान लेखबद्ध नहीं हुए हैं, ऐसे में प्रकरण में तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित कथनों को प्रमाणित करने के लिए परिवादी के कथनों का अभाव है। इसके अतिरिक्त प्रकरण का गवाह पीडब्ल्यू 1 महेन्द्र स्वयं के सामने कोई घटना व गाली-गलौच न होना बताते हुए प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है

और वह स्वयं के द्वारा दिए गए पुलिस बयान प्रदर्श पी 2 से इंकार करते हुए कथन करता है कि उसको पता नहीं है कि रामस्वरूप ने सरपंच साहब के साथ गाली-गलौच की या नहीं, वह मीटिंग में लेट पहुंचा था। उसे किसी ने नहीं बताया कि क्या घटना कारित हुई। इसी क्रम में अन्य गवाह पीडब्ल्यू 02 ग्यारसीलाल है, जिसे अभियोजन पक्ष ने मौके के गवाह के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया है, परंतु उक्त गवाह भी इस तथ्य से इन्कार करता है कि रामस्वरूप और सरपंच साहब के मध्य किस बात को लेकर कहा सुनी हुई, इस बात का उसे पता नहीं है। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिए और न ही रामस्वरूप ने मीटिंग हॉल में जाकर पत्रावली इधर-उधर की और कोई बाधा पहुंचाई। गवाह पीडब्ल्यू 3 लोकेश कुमार तथा पीडब्ल्यू 5 बाबूलाल को अभियोजन पक्ष ने मौके के गवाह के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया है, परंतु दोनों ही गवाह स्वयं के सामने रामस्वरूप के द्वारा लक्ष्मीनारायण के साथ कोई गाली-गलौच न किया जाना बताते हुए पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और स्वयं के पुलिस बयान प्रदर्श पी 3 तथा पी 5 से इंकार करते हैं। उक्त दोनों ही गवाहों ने लक्ष्मीनारायण और रामस्वरूप के मध्य कोई विवाद और लडाई झगडा न होना बताते हुए रामस्वरूप के द्वारा पत्रावलियों को इधर-उधर न करना और राजकीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना अपने बयानों में बताता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण का गवाह पीडब्ल्यू 8 एश्वर्य शर्मा प्रकरण में परिवादी का पुत्र है, परंतु उक्त गवाह मौके का गवाह न होकर मीटिंग हॉल में उपस्थित न होना बताता है। साथ ही गाड़ी में लात मारने व गाडी डेमेज करने संबंधी फोटोग्राफ्स/दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत न होना जाहिर करता है। गवाह पीडब्ल्यू 6 राधाकिशन प्रकरण में बनाए गए फर्द डेमेज प्रदर्श पी 6 का गवाह है तथा गवाह पीडब्ल्यू 7 मदन माहन प्रकरण में लिए गए फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 7 का गवाह होकर उक्त फोटो स्वयं के सामने न लिया जाना बताता है, ऐसे में अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष को यह प्रमाणित करना था कि क्या परिवादी को लोक सेवक होते हुए उसके लोक कार्य में अभियुक्त के द्वारा गाली-गलौच करके बाधा पहुंचाई है तथा परिवादी की गाड़ी को लात-घुसे मारकर उस पर डेमेज कारित करके रिष्टि कारित की गई है अथवा नहीं?

उक्त के संबंध में पत्रावली पर प्रथमतः तो परिवादी के कथनों का अभाव रहा है। इसके अतिरक्त अभियोजन पक्ष ने जिन गवाहों को मौके के गवाह के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया है। उक्त सभी गवाह प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन कहानी के विपरीत कथन करते हैं, धारा 427 आईपीसी के संदर्भ में भी पत्रावली पर सुदृढ साक्ष्य सामग्री का अभाव रहा हैं। ऐसे में पत्रावली पर धारा 353, 427 आईपीसी के तत्व विद्यमान नहीं है, ऐसे में अभियुक्त उक्त धाराओं में दोषमुक्त होने योग्य है।

19. अंत में उपर्युक्त समग्र विवेचन, विश्लेषण व मूल्यांकन के उपरान्त

निष्कर्ष स्वरूप न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 05-03-2013 को समय 2 बजे पर वाके मौजा राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत, डूंगरज्या में परिवादी लक्ष्मीनारायण, सरपंच डूंगरज्या को लोकसेवक होते हुए उसके कार्यों से विमुक्त करने के लिए उस पर आराधिक बल का प्रयोग करते हुए उसकी गाड़ी को लात मारकर रिष्टि कारित की गई। लिहाजा, अभियुक्त रामस्वरूप आरोपित अपराध धारा 353, 427 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

-o:: <u>आदेश</u> ::o-

20. **परिणामस्वरूप अभियुक्त रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल, निवासी डूंगरज्या, थाना सुल्तानपुर, जिला कोटा, राजस्थान को अपराध अंतर्गत धारा 353, 427 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।**

अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत तारीख पेशी के जमानत मुचलके एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437ए, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त दस हजार रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है।

प्रकरण में मुताबिक फर्द जप्ती जप्तशुदा वाहन का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण करने हेतु संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।

(नेहा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद

21. निर्णय आज दिनांक 04-08-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद

VINOD KUMAR PANCHESHWAR
Stenographer grade III
Digitally signed by VINOD KUMAR PANCHESHWAR
Date: 2026.08.12 17:03:06 +0530

Authenticated Document